

विश्वभारती
कार्यालय आदेश

कहना है कि उपाचार्य महोदय ने सीवीसी सतर्कता नियमावली के पैरा 2.81 के अनुसार प्रो० शांतनु रक्षित, अध्यक्ष, पल्ली संगठन विभाग (पीएसवी) का विश्वविद्यालय के अंशकालिक सतर्कता अधिकारी के रूप में प्रभावी तारीख 29.10.2025 से तीन महीने के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया है। वे अपने दैनंदिन कार्य के साथ-साथ इस दायित्व का निर्वहन करेंगे।

प्रो० शांतनु रक्षित से अनुरोध किया जाता है कि वे प्रभावी तारीख 29.10.2025 से तीन महीने के लिए विश्वविद्यालय के अंशकालिक सतर्कता अधिकारी की भूमिका निभाएँ।

ज्ञापन सं. संख्या स्था/ई-III/सतर्कता
दिनांक: 29.10.2025

हस्ता/-
कुलसचिव
विश्वभारती

सेवा में,

1. प्रो० शांतनु रक्षित, अध्यक्ष, पल्ली संगठन विभाग (पीएसवी)

सूचनार्थ प्रतिलिपि:

1. सुश्री जेनिफर टिके, अवर सचिव, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, सतर्कता अनुभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
2. सभी निदेशक/सभी प्रिंसिपल
3. सभी शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक विभागों/केंद्रों/अनुभागों के प्रधान
4. वित्त अधिकारी
5. पुस्तकाध्यक्ष
6. सभी संयुक्त कुलसचिव/ उप कुलसचिव/आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी/सहायक कुलसचिव
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/विश्वविद्यालय अभियंता
8. संयुक्त कुलसचिव एवं कुलपति के गोपनीय सचिव
9. उप कुलसचिव (स्थापना)
10. प्रभारी, सुरक्षा
11. कुलसचिव के निजी सहायक
12. सहायक कुलसचिव (बैठक) – ई.सी. के समक्ष संपुष्टि हेतु
13. विश्वविद्यालय वेब मास्टर- विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. हिंदी अधिकारी- हिंदी में अनुवाद कर वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
15. व्यक्तिगत फाइल